जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 24.03.2023**

आज दिनांक 24.03.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम **में थाना धनघटा पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता वीरेन्द्र यादव पुत्र छविराज निवासी डुहियाकला थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री वीरबहादुर यादव, हे0का0 अनिल कुमार मिश्र।

थाना महुली पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता इन्द्रेश चौधरी पुत्र भगवान दास निवासी रामपुर धायपोखर थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री जयप्रकाश मिश्रा, हे0का0 रनजीत चौधरी, का0 सूर्य प्रकाश।

महुली पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु कारित करने के मामलें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी घनघटा **श्रीमती दीपांशी राठौर** के पर्यवेक्षण प्रभारी निरीक्षक थाना महुली **श्री संतोष कुमार मिश्र** के नेतृत्व में में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 मु0अ0स0 446/2022 धारा 498A / 304B भादवि व 3 / 4 डीपी एक्ट मे वांछित अभियुक्त मो0 शाहिद पुत्र सुखारी उर्फ वाहिद अली निवासी नाथनगर पुरानी बाजार थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री से दहेज के रूप में मोटर साइकिल की मांग की जा रही थी मांग पूरी न करने पर प्रतिवादी द्वारा दिनांक 03.07.2022 को वादी की पुत्री की गला दबाकर हत्या कर दिया गया था जिस संबन्ध में वादी द्वारा थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला संबन्धी अपराध घटित होने पर थाना महुली पुलिस द्वारा गंभीरता से लेते हुए उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमे लगायी गयी थी आज दिनांक 24.03.2023 को थाना महुली पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री विवेकानन्द तिवारी, का0 श्यामनरायण यादव।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1489 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1489 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत महुली से इवेन्ट संख्या 07960 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में 02 व्यक्तियों 1- कृष्णचन्द पुत्र भिखारी निवासी कर्री थाना महुली व 2- सोनू यादव पुत्र रणजीत यादव निवासी डुहियाकला थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर तत्काल पहुँचकर मार्ग दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को इलाज हेतु एम्बुलेंस से सीएचसी नाथनगर पहुँचाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 रविन्द्र यादव, आ0 रामदुलारे यादव, हो0चा0 रामप्रकाश पाण्डेय।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 115 वाहनो से 11,3500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 24.03.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 115 वाहनों से 11,3500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।